हनुमान बनाम हरिनारायण
मु०नं० 53/2024

18/7/24 पत्रावली पेश हुई [illegible] अन्य राज्य [illegible] पत्रावली [illegible] 28/8/24 को पेश हो।

28/8/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 29/8/24 को पेश हो।

29/8/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

21/3/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या
टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 53/2024

हनुमान सहाय पुत्र स्व0 श्री रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गंवार ब्राहमणान् तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

वादी-प्रार्थी

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र स्व0 रामसहाय
2. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामसहाय
3. जगदीश पुत्र स्व0 रामसहाय
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रामसहाय
5. विद्यानन्द पुत्र स्व0 रामसहाय
6. रामा देवी पुत्री रामसहाय पत्नी दामोदर शर्मा
7. ललिता देवी पुत्री रामसहाय पत्नी कैलाश चन्द शर्मा
8. गीता देवी पुत्री रामसहाय पत्नी रामकिशोर शर्मा

निवासीयान् ग्राम गंवार ब्राहमणान् तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

9. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर
10. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जिला जयपुर

अप्रार्थी-प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य.प्र.स.

हनुमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:21:23 IST
Reason: SelfAttested